न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 05 / 2023

उनवान

1. श्री कैलाश चन्द पुत्र भूरा मीणा नि. जोधा मण्डेल का खेडा ट्रान्सपोर्ट नर के पास भीलवाडा।
2. रामचन्द पुत्र भूरा लाल मीणा नि. जोधा मण्डेल का खेडा ट्रान्सपोर्ट नर के पास भीलवाडा।
3. रामलाल पुत्र भूरा लाल मीणा नि. जोधा मण्डेल का खेडा ट्रान्सपोर्ट नर के पास भीलवाडा।
4. लक्ष्मण पुत्र भूरा मीणा नि. जोधा मण्डेल का खेडा ट्रान्सपोर्ट नर के पास भीलवाडा।
5. शंकर लाल पुत्र भूरा मीणा नि. जोधा मण्डेल का खेडा ट्रान्सपोर्ट नर के पास भीलवाडा तह. व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री जगदीश सिंह पुत्र भगवत सिंह राजपूत नि0 आमली(पुरावतान) तह. हमीरगढ।
2. श्रीमती रामु देवी पत्नि श्री लादु रेगर नि. ओज्याडा तह. हमीरगढ।
3. श्री गणपत पुत्र जगदीश चन्द लुहार नि0 बापुनगर भीलवाडा।
4. श्रीमती चन्द देवी राजु लाल भाम्भी नि0 हमीरगढ।
5. श्रीमति नन्दु देवी पत्नि भेरु लाल बलाई नि0 आमली(पुरावतान) तह. हमीरगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनाक 05.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 05 की आ.न. 1248 रकबा 0.6449है0, आ.न. 1249 रकबा 0.4805है0, आ.न. 1250 रकबा 1.0116है0, आ.न. 1251 रकबा 1.1507है0, आ.न. 1252 रकबा 1.0748है0, आ.न. 1254 रकबा 1.0748है0, आ.न. 1423 / 1254 रकबा 0.3667है0, कुल किता 07 कुल रकबा 5.8040है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2023 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार / स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 05 की आ.न. 1248 रकबा 0.6449है0, आ.न. 1249 रकबा 0.4805है0, आ.न. 1250 रकबा 1. 0116है0, आ.न. 1251 रकबा 1.1507है0, आ.न. 1252 रकबा 1.0748है0, आ.न. 1254 रकबा 1. 0748है0, आ.न. 1423 / 1254 रकबा 0.3667है0, कुल किता 07 कुल रकबा 5.8040है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 2300 / —पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500 / —रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करे।

आदेश आज दिनाक 16.05.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ